न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/106

1. जगदीश आत्मज श्री लादूनाथ जाति नाथ निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. विमला आयु 38 वर्ष पुत्री जगदीश नाथ योगी पत्नी श्री धनराज योगी निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/2. कमला बाई आयु 45 वर्ष पुत्री जगदीश नाथ योगी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद योगी निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/3. श्रीमती धापू आयु 65 वर्ष बेवा जगदीश नाथ योगी निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. धर्मराज आयु 35 वर्ष आत्मज श्री जगदीश जाति नाथ निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज धन्ना लाल जाति बंजारा निवासी चाकसू हाल निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. मनथर बाई पत्नी बाबूलाल जाति बंजारा निवासी चाकसू हाल निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (नाम तर्क) ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश नामधराणी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 656 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा,

खसरा नम्बर 656/747 रकबा 05 बीघा कुल 02 किता की रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी कम 01 के खातेदारी की भूमि है । वादग्रस्त आराजी के बीच गत 2–3 वर्ष पूर्व एन0 एच0 12 से पूर्वी तरफ स्वरूपगढ जाने वाली सडक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वादी की सहमति के बिना बना दी गई है । उक्त सडक से वादी की भूमि दो हिस्सों में बंट गई है । उक्त सडक से दक्षिण साईड पर वादी की लगभग डेढ बीघा भूमि स्थित है जिस पर वादीगण काबिज है । वादीगण की शेष भूमि सडक से उत्तर साईड पर स्थित है । सडक से दक्षिणी साईड पर स्थित वादीगण की डेढ बीघा भूमि में से कुछ हिस्से पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा जबरन ग्रेड बाउण्ड्री बनाने की कोशिश करने पर उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है । ग्रेड की दीवार के बाद वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण ने अपने जानवर बांध दिये और वादी की गैर मौजूदगी में सडक से दक्षिण साईड पर स्थित भूमि पर 30 X 40 वर्गफिट भूमि पर नीवें खोदकर, नीवें भरकर ईटों से रहने हेतु मकान चुनने लग गये । वादी के मना करने के बावजूद भी प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन निर्माण करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे व जबरन निर्माण कार्य नहीं करे । उक्त कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट नहीं करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण भूमि पर जबरन कब्जा कर ले तो उसे बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.05.2015 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.02.2020 को अपाने अभिभाषक से जानकारी लेने पर हुई जिस पर अपीलान्टगण द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 14.02.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी संख्या 01 के नाम खाते में दर्ज है । वादी के द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । प्रतिवादीगण को तलब किया गया इसी बीच दिनांक 22.11.2012 को प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा कर लेने से संशोधन का आवेदन पेश किया गया था जिसके जवाब हेतु पत्रावली लम्बित थी । पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । जवाबदावा एवं संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व ही पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाकर दावा वादी खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है जबकि दावा दायरी की दिनांक को उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं था । अपीलान्ट को लोक अदालत की जानकारी दी गई थी । इसके बावजूद वो लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए । अपील सन् 2015 के निर्णय के खिलाफ सन् 2020 में पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी के दिनांक को अपीलान्ट का कब्जा नहीं था । उनका धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेन्टेनेबल नहीं था उनको धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश करना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2013 (एससी) (4) पेज 829 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए और पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा भी पेश नहीं हुआ है और उसी दिन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दावा वादी खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है ।

12. अपीलान्ट के द्वारा विलम्ब को शमन करने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है । चूँकि परीक्षण न्यायालय के द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो कि अवैध निर्णय की श्रेणी में आता है और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाता है उनमें समय सीमा गौण हो जाती है । ऐसी स्थिति में हम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाना उचित समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2013 (एससी) (4) पेज 829 यहाँ चस्पा नहीं होती है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से सीपीसी की पालना करते हुए निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा